<u>सं0-6/2150/52-3-2013-सा(02)/12</u>

प्रेषक

देवेश चतुर्वेदी
सचिव
उ0प्र0 □□□□

□□ में

□□□□□
अल्पसंख्यक कल्याण
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण □□□वक्फ □□□□□-3 □□□□: दिनांक 30 दिसम्बर 2013

विषयः-राज्य □□□□ द्वारा अल्पसंख्यकों हे□□□□□□□ हमारी बेटी □□□□ □□ योजनान्तर्गत 3□□□□□ रू0 36000/- वार्षिक अ□ □□□□अभिभावकों की कक्षा 10 □□ पुत्री □□ □□□की शिक्षा ग्रहण □□□□□□□ विवाह □□□ □□□□□ प्रदान किये □□□□□□□□ में।

□□□□

उपर्युक्त विषय □□ □□□ में दिनांक 26-12-2013 □□ समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के □□ □□□ □□□ वीडियों कान्फ्रेन्स क□ □□□□ सदर्भ ग्रहण □□□□□ कष्ट करें।

2- उक्त वीडियों कान्फ्रेन्स में □□□□□ जनपदों □□ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों द्वारा □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ में □□□ बिन्दुओं □□ □□□□ □□ स्थिति स्पष्ट किये □□□की अपेक्षा की □□□ □□□ □□□ वीडियों कान्फ्रेन्स के□□□□□ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों द्वारा □□□□□□□□बिन्दुओं □□ □□□ में □□□□ द्वारा निम्नवत् स्थिति स्पष्ट की □□□□ □□-

(1) □□□□□□□ दिनांक 5-12-2013 की व्यवस्थानुसार योजनान्तर्गत केव□ उन्ही बा□□□□□□□ लाभान्वित किया □□□ □□जिन्होने वर्ष 2012-13 में हाईस्कूल □ □□□□समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर वर्ष 2012-13 में कक्षा 11 में प्रवेश □□□□ □□□ □□□□अतिरिक्त □□□□□□□ में □□ □□ व्यवस्था दी

http://shasanadesh.up.nic.in

□□□ □□कि उक्त □□□ □□□□ प्रथमबार वर्ष 2012-13 में हाईस्कूल □ □□□□ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण □□□□□□□□ छात्राओं □□ ही अनुमन्य □□□□ □□□□ पूर्व □□□ □□□ परीक्षा उत्तीर्ण □□□□□□□□ छात्रायें पात्र नही □□□□

स्पष्ट □□कि छात्रा □□ यदि □□ □□□ □□□□□ □□ □□□ प्राप्त हो □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ अनुमन्य नही □□□□

(2) □□□□□□□ दिनांक 5-12-2013 की व्यवस्थानुसार □□□□□ □□ □□□ प्राप्त किये □□□□□□□□□□□□□□ छात्रा द्वारा □□□□□ □□□□□□□□□□ में रू0 10/- □□ स्टाम्प □□□ □□ घोषणायें प्रस्तुत की □□□ □□ यदि □□□□□□ छात्रा द्वारा की □□□ □□□□□□□में किसी प्रकार की मिथ्या □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□विरूद्ध नियम□□□□□ विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की □□□□

(3) यदि किसी अभ्यर्थी □□ □□□□ में किसी प्रकार की □□□ □□□□□□ □□□□/□□□□□□□ स्तर □□ □□□□ □□□□प्राप्त □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी □□ □□ दायित्व द्य□□□ कि □□ □□□□□□ की □□□/स्थलीय निरीक्षण प्रत्येक द□□ में □□ सप्ताह □□ अन्दर □□□□□ □□□□ □□जिलाधिकारी स□□□□ □□□□ में □ □□□ प्राप्त □□□□ ही अग्रिम कार्यवाही करें।

यदि □□□□□ प्रदान किये □□□□□पूर्व □□□□□ प्राप्त □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ की □□□ □□□□□□उपरान्त किया □□□□□ □□□ यदि □□□□□ प्रदान किये □□□□□□□□ □□□□□□ प्राप्त □□□□ □□□□□ इसकी □□□ □□□□□ सही □□□□□□□□□□ □□□□□ की रिकवरी की कार्यवाही सुनिश्चित की □□□□□ □

(4) □□ सुनिश्चित किया □□□□□ कि □□□□□□□ पत्रों की □□□ में किसी प्रकार □□ अनावश्यक विलम्ब □ □□□

□□□□□ योजनान्तर्गत □□□□□□□ कार्यवाही सुनिश्चित की □□□□

भवदीय

(□□□ चतुर्वेदी)
□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2150(1)/52-3-2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(जय प्रकाश पाण्डेय)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in